



पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व अधिवक्ता उपस्थित हैं।  
 वकील उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि पत्रावली  
 उभयपक्षों द्वारा पत्रावली के बीच अमरसौता  
 वाली है। वकील फ्रीडन ही सुना गया।  
 पत्रावली में समाप्त होने के अंतिम भाग में  
 दिनांक 31/12/2018 को पेश है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भिनाय (अजमेर)


7/1/2023


पत्रावली पेश करी वकील उभयपक्षों द्वारा उपस्थित हैं।  
 उभयपक्षों द्वारा पत्रावली के बीच समाप्त होने के अंतिम भाग में  
 समाप्त। पत्रावली समाप्त दि. 11/1/2023 को  
 राष्ट्रीय लोक अदालत विनियम 2023 प्रथम से पेश  
 है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भिनाय (अजमेर)

11/2/23

पत्रावली पेश हुई राष्ट्रीय लोक अदालत विनियम 2023 प्रथम में  
 वकील वादी व अधिवक्ता उपस्थित हैं। वकील वादी द्वारा कथन किचे जाये कि वकील वादी  
 पत्रावली पर अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वकील वादी  
 द्वारा इस बाबत पत्रावली Not Press अंकित किचे जाये।  
 वकील वादी द्वारा वकील वादी को सुना गया। वकील वादी  
 पत्रावली में वकील प्रतिवादी जगों के मध्य लोक अदालत  
 की भावना अग्रिम सत्रों के कारण पत्रावली पर अग्रिम  
 कार्यवाही नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वकील वादी द्वारा  
 पत्रावली पर कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त किचे जाने  
 का निर्णय लिखा गया। पत्रावली केवल सुना होकर  
 न्याय से कम होकर देखिल देता है।

  
 अध्यक्ष  
 लोक अदालत बेंच  
 (तालुका विधिक सेवा समिति)  
 केकड़ी, जिला-अजमेर

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भिनाय (अजमेर)

पत्रावली  
 दिनांक 11/2/23  
 Not Press  
 11/2/23